

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं.सं.-8/ज. सं.(नि.) बाहय-04/2013 :- राँची, दिनांक-

संकल्प

श्री प्रमोद प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खुटौना (बिहार) के विरुद्ध कतिपय अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प सं.-3560 दिनांक-14.07.2015 के द्वारा नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त, भा.प्र.से. को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री सिन्हा के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं.- 2334 दिनांक- 04.05.2011 के आलोक में उक्त जाँच कार्य पूरा नहीं हो सका।

2. उपरोक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (मो.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प सं.- 3560 दिनांक- 14.07.2015 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-

/राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि- श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (मो.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को पूर्व निर्गत संकल्प की छायाप्रति अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-

4765

/ राँची, दिनांक -

7-9-15

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची-सह- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/ श्री प्रमोद प्रसाद, कनीय अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vice
28/08/2015

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

28/8/15